शालीग्राम श्रीवास्तव

बनाम

नरेश सिंह पटेल

19 दिसंबर, 2002

[आर. सी. लाहोटी, बृजेश कुमार और एच. के. सेमा, जे. जे.]

निर्वाचन विधियां-

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:

धारा 36 और 8-नामांकन की समीक्षा - चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा को अभ्यर्थी भरने में असफल हो रहे हैं। समीक्षा के दौरान नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी खारिज कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने बरकरार रखी अस्वीकृति-अभिनिर्धारित किया: नामांकन पत्र को खारिज करने का रिटर्निंग अधिकारी के पास अधिकार था, चूंकि नामांकन पत्र में प्रक्रियात्मक त्रुटियों से ग्रस्त था।

धारा 36 (2)-नामांकन पत्रों की समीक्षा -निर्वाचन अधिकारी की शक्ति और जांच का दायरा-विवेचित किया गया।

निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरते समय निर्धारित प्रोफार्मा भी विहित प्रारूप में भरना

चाहिए। यह इस बाबत` था कि समीक्षा के समय जानकारी लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या उम्मीदवारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के आलोक में मान्य है। एक उम्मीदवार ने प्रोफार्मा नहीं भरा, लेकिन इस आशय का एक हलफनामा दायर किया कि प्रोफार्मा में दी गई जानकारी सही थी, निर्वाचन अधिकारी ने जांच के समय नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस अस्वीकृति को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील की गयी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के तहत नामांकन पत्रों की समीक्षा के समय, अयोग्यता का प्रावधान करने वाले अधिनियम की धारा 8 के आलोक में, जो एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर हो सकता है, निर्वाचन अधिकारी को खुद को संतुष्ट करने का अधिकार है कि एक उम्मीदवार योग्य है और अयोग्य नहीं है। यह उनके वैधानिक कर्तव्यों में से एक है। धारा 36 (2) भी सांविधिक रूप से उसे अपने स्वयं के प्रस्तावों पर समीक्षा करने के लिए अधिकृत करती है, हालांकि इसकी प्रकृति संक्षिप्त है। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों को एक प्रारूप प्रस्तुत करता है जिसे शपथ पत्र पर भरा जाना चाहिए और समीक्षा के लिए निर्धारित तिथि और समय पर या उससे पहले नामांकन पत्र दाखिल किया जाना चाहिए। इसलिए, एक प्रारूप प्रदान करना, अधिनियम की धारा 8 के

आलोक में आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना है ताकि निम्नलिखित के बारे में पूछताछ की जा सकेः

क्या व्यक्ति योग्य है और अयोग्य नहीं है, यह एक ऐसा कार्य है जो पूरी तरह से अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत आता है। निर्वाचन अधिकारी समीक्षा के समय या उससे पहले ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। यदि उम्मीदवार ऐसी जानकारी देने में विफल रहता है और नामांकन पत्रों की जांच के समय खुद भी अनुपस्थित रहता है, तो स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जा रही वैधानिक जांच से बच रहा है। इसके परिणामस्वरूप नामांकन में एक महत्वपूर्ण चरित्र का दोष होना तय है।

[594 - ई-एच; 595-ए]

1.2 निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 4 के तहत निर्धारित प्रपत्र 2-बी में प्रस्तुत स्पष्ट घोषणा कि उम्मीदवार नामनिर्देशन के लिए, योग्य है और अयोग्य नहीं है, अधिनियम की धारा 8 के दृष्टिकोण से नामांकन पत्र की समीक्षा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नामांकन पत्र में इस तरह की घोषणा केवल एक बुनियादी विवरण हो सकता है जिसे नामांकन पत्र में भरना आवश्यक है, लेकिन इसमें अधिनियम की धारा 8 के आलोक में नामांकन पत्र की जांच के उद्देश्यों के

लिए प्रासंगिक कोई जानकारी या तथ्य नहीं हैं, जो अधिनियम के भाग II में आता है। 1598 - बी-सी।

1.3 . निवार्चन अधिकारी में निहित शक्तियां इस बात पर निर्भर नहीं है कि कोई दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं, यद्यपि, यह आवश्यक नहीं है कि इस विवाद में पड़ा जाए कि क्या जो दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग द्रारा दिए गए है वह अनुच्छेद 324 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए दिये गये हैं अथवा नहीं। निर्वाचन आयोग अपने पत्र के माध्यम से अधिनियम की धारा 8 के तहत अयोग्यता के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुछ फैसलों को निर्वाचन अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। यह भी वांछित था कि राजनीति के अपराधीकरण की संभावना को ध्यान में रखते हुए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा ऐसी जांच की जाए। इस तथ्य को छोड़कर कि निर्देशों से रिटर्निंग अधिकारियों को अवगत कराया गया अधिनियम की धारा 8 के आलोक में कानून के तहत स्थिति जिसका तात्पर्य है कि वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी मांगने के लिए अधिकृत है। चूंकि अधिनियम की धारा 8 के आलोक में इस प्रकार की सूचनाएं धारा 36(2) के अधीन नामांकन पत्र की समीक्षा के उददेश्य के लिए आवश्यक और सुसंगत है इसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को प्रदान किए गए प्रारूप पर अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना उसका कर्तव्य बन जाता है ताकि रिटर्निंग

अधिकारी नामांकन पत्र की प्रभावी ढंग से, ठीक से और विधिक प्रावधानों के अनुरूप जांच करने के अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन कर सके।

[598 - ई-जी, 599-ए-बी]

1.4. वर्तमान मामले में उम्मीदवार दिए गए प्रोफार्मा पर मांगी गई जानकारी देने में विफल रहा और जांच के समय व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने में भी विफल रहा। नामांकन पत्र की उचित जांच करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के वैधानिक कर्तव्य/शक्ति को निरर्थक बना दिया गया। अधिनियम की धारा 8 के आलोक में धारा 36(2) के तहत नामांकन पत्र की जांच नहीं की जा सकती है. इसने निश्चित रूप से नामांकन पत्र को पर्याप्त चरित्र दोष से ग्रस्त कर दिया और इसे अस्वीकार करने का स्वविवेकाधिकार रिटर्निंग अधिकारी के पास था। { 599 - ई, एफ. }

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4023/2001

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की निर्वाचन याचिका संख्या 1/2000 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 9.4.2001 से।

अनूप चौधरी व सुधीर वाला अपीलार्थी महेन्द्र सिंह दहिया की ओर से।

एस. वी. देशपांडे, सुश्री अनुराधा रुस्तोगी और प्रमित सक्सेना प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय बृजेश कुमार जे. द्वारा दिया गया था।

फरवरी, 2000 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से हुए उप-चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें प्रतिवादी को उक्त विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किए जाने को चुनौती दी गई। चुनाव याचिका खारिज कर दी गई है, इसलिए यह अपील की गई।

संक्षेप में, तथ्य यह है कि भगवान सिंह नाम के एक व्यक्ति का नामांकन पत्र जांच के समय इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने चुनाव आयोग के पत्र दिनांक 28.8.97 द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा नहीं भरा था। उक्त प्रोफार्मा को यह सुनिश्चित करने के लिए भरना आवश्यक था कि क्या उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 8 में उल्लिखित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवार, भगवान सिंह ने एक हलफनामा दायर किया था कि प्रोफार्मा में दी गई जानकारी सही थी लेकिन प्रोफार्मा ही खाली छोड़ दिया गया था। हालाँकि, उन्होंने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 4 के तहत निर्धारित फॉर्म 2-बी पर नामांकन पत्र भरा था, जिसमें घोषणा की गई थी कि उम्मीदवार योग्य

था और सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य भी नहीं था। चुनाव याचिकाकर्ता के अनुसार भगवान सिंह का नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने पत्र दिनांक 28.8.97 के तहत निर्धारित प्रोफार्मा नहीं भरा था, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसा कोई प्रोफार्मा वैधानिक रूप से प्रदान नहीं किया गया था। उसके तहत बनाए गए नियम में यह तर्क दिया गया है कि आयोग एक प्रोफार्मा निर्धारित करने के लिए कानून नहीं बना सका, अधिक से अधिक यह केवल चुनाव आयोग का कार्यकारी निर्देश हो सकता है जबकि याचिकाकर्ता ने नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म भरा था जिसमें कोई दोष नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य आधार यह था कि चुनाव आयोग के कार्यकारी निर्देश का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप नामांकन पत्र की अस्वीकृति नहीं होगी, खासकर तब जब यह प्रदान नहीं किया गया हो कि प्रोफार्मा भरने में विफलता के परिणामस्वरूप नामांकन पत्र की अस्वीकृति होगी।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दिनांक 28.8.97 के निर्देश के तहत आवश्यक घोषणा प्रस्तुत न करना महत्वपूर्ण चरित्र का दोष है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र को खारिज करना सही था। इस बिंदु पर यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि एक प्रश्न उठाया गया है कि

क्या चुनाव याचिका पर विचार किया जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भगवान सिंह, जिनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था, ने न तो अदालत का दरवाजा खटखटाया और न ही कभी कोई आपत्ति उनके नामांकन पत्र की अस्वीकृति के संबंध में जताई। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिंदु को उच्च न्यायालय के समक्ष आगे नहीं बढ़ाया गया और न ही इस न्यायालय को उक्त बिंदु पर संबोधित किया गया। इसलिए, हमें उस प्रश्न से भटकने की जरूरत नहीं है और हमारे समक्ष प्रस्तुत आधारों पर अपील की योग्यता के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

अन्य बिंदुओं के गुणों में प्रवेश करने से पहले अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए एक प्रश्न पर विचार करना उचित होगा कि पत्र पी-1 दिनांक 28.8.97 में समाविष्ट किया हुआ और पत्र दिनांक 6.1.98 में निहित निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर दलील दी गई है कि ये पत्र आयोग के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं, इसलिए इस पर संविधान का अनुच्छेद 324 लागू नहीं होगा। हालाँकि इस बिंदु पर विस्तार से बहस की गई है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाना तय है। पत्र दिनांक 28.8.97 का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया गया है कि यह केवल चुनाव आयोग के निदेशक (कानून) द्वारा जारी किया गया है। आगे बताया गया है कि उक्त पत्र केवल आयोग के निर्देश को

क्रियान्वित करने के लिए जारी किया गया है। आयोग की इच्छा थी कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय, उम्मीदवार को उसके साथ संलग्न प्रोफार्मा भी भरना चाहिए, जिसमें जानकारी मांगी जाए ताकि जांच के समय यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी उम्मीदवारी अधिनियम की धारा 8 का प्रावधान के आलोक में वैध है या नहीं। आयोग के दिशा निर्देश दिनांक 28.8.97 के पत्र की प्रति के साथ सभी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनकी जानकारी, मार्गदर्शन और सख्त अनुपालन के लिए प्रस्तुत किए गए थे। यह बताया जा सकता है कि निदेशक (कानून) द्वारा लिखा गया पत्र स्वयं संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग द्वारा दिनांक 28-08-97 को जारी दिशा निर्देशों को संदर्भित करता है यह किसी का मामला नहीं है कि निदेशक (कानून) द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.8.97 संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश है। निदेशक का पत्र केवल उसी तिथि को जारी आयोग के निर्देशों का सार बताता है। अपीलकर्ता के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग द्वारा दिनांक 28.8.97 को जारी निर्देशों को दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना है। यह आगे बताया जा सकता है कि मुख्य दस्तावेज वह प्रोफार्मा है जिसे चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा भरना आवश्यक है, जिसमें वह जानकारी मांगी जाती है जिसे नामांकन पत्र की जांच के समय आवश्यक माना गया था। चुनाव आयोग के सचिव द्वारा जारी पत्र दिनांक 6 जनवरी 1998 के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया

है कि संशोधित प्रोफार्मा आयोग के पत्र दिनांक 28.8.97 के साथ जारी किया गया था। इसलिए अपीलकर्ता की ओर से की गई दलील में कोई दम नहीं है, कुछ दृढ़ता के साथ यह भी कहा गया है कि प्रोफार्मा और निर्देश चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, न कि आयोग द्वारा। ऊपर जो संकेत दिया गया है उसके अलावा यह भी देखा जा सकता है कि इस तरह के आधार को कभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचारित नहीं किया गया था और न ही इसे विशेष अनुमति याचिका में लिया गया है; बल्कि सभी जगहों पर यह उल्लेख किया गया है कि निर्देश और प्रोफार्मा चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गये थे. केवल मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर ऐसी बात कहने का प्रयास किया गया। उपरोक्त कारणों से हम अपीलकर्ता के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम महसूस करते हैं कि मामले के मुख्य रूप से दो पहलुओं पर हमारे विचार की आवश्यकता है, पहला चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश की स्थिति और संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर इसकी बाध्यकारी प्रकृति और अगला बिंदु इसकी प्रकृति और दायरे के बारे में है। जांच के समय अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत पूछताछ के साथ-साथ रिटर्निंग ऑफिसर की शक्तियां भी। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश और परफोर्मा में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जारी किए गए निर्देशों का बल इस आधार पर नहीं है कि यह क्षेत्र पहले से ही प्रचारित या किसी अन्य आधार पर कानून द्वारा कवर

किया गया है। जो भी हो, क्या रिटर्निंग ऑफिसर अभी भी अधिनियम की धारा 36(2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आवश्यक जानकारी मांग सकता है आैर नामांकन पत्र को अस्वीकार कर सकता है या नहीं। हम पहले दूसरे बिंदु से निपटने का प्रस्ताव करते हैं। अधिनियम की धारा 30,33,34 और 36 के तहत निहित प्रासंगिक प्रावधानों का अध्ययन करना उचित होगा। वे इस प्रकार हैं:-

> "30. नामांकन आदि के लिए तारीखों की नियुक्ति - जैसे ही किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी सदस्य या सदस्यों को चुनने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है, चुनाव आयोग, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करेगा -
>
> (ए) नामांकन करने की अंतिम तिथि, जो पहली उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद [सातवां दिन] होगी या, यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला अगला दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है;
>
> (बी) नामांकन की जांच की तारीख, जो नामांकन करने की आखिरी तारीख [तुरंत अगले दिन] होगी या, यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला अगला दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है;

(सी) उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि, जो नामांकन की जांच की तारीख के बाद [दूसरा दिन] होगी या, यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला अगला दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है;

(डी) वह तिथि या तिथियां जिस पर, यदि आवश्यक हो, मतदान किया जाएगा, या जिनमें से पहली तारीख उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद [चौदहवें दिन] से पहले की नहीं होगी; और

(ई) वह तारीख जिससे पहले चुनाव पूरा हो जाएगा।"

33- नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन के लिए आवश्यकताएं - (1) धारा 30 के खंड (ए) के तहत नियुक्त तिथि पर या उससे पहले, प्रत्येक उम्मीदवार, व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रस्तावक द्वारा, ग्यारह बजे के बीच पूर्वाह्न और अपराह्न तीन बजे धारा 31 के तहत जारी नोटिस में इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में पूरा किया गया नामांकन पत्र और उम्मीदवार द्वारा और प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

[बशर्ते कि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा न किया गया हो, किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए विधिवत

नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि नामांकन पत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होने के नाते दस प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि सार्वजनिक अवकाश वाले दिन कोई भी नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि किसी स्थानीय प्राधिकारियों का निर्वाचन क्षेत्र, स्नातकों आैर शिक्षकों का निर्वाचन क्षेत्र के मामले में, "प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक" के संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावक के रूप ऐसे निर्वाचक, में जो भी कम हो, दस प्रतिशत निर्वाचकों या दस के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

(1ए)

(2)

(3)

(4) नामांकन पत्र की प्रस्तुति पर, रिटर्निंग अधिकारी खुद को संतुष्ट करेगा कि नामांकन पत्र में दर्ज उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के नाम और मतदाता सूची संख्या वही हैं जो मतदाता सूची में दर्ज हैं:

[बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के संबंध में या मतदाता सूची या नामांकन पत्र में उल्लिखित किसी

भी स्थान के संबंध में कोई गलत नाम या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि न हो और कोई लिपिकीय त्रुटि न हो। मतदाता सूची या नामांकन पत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति की मतदाता सूची संख्या के संबंध में तकनीकी या मुद्रण त्रुटि, ऐसे व्यक्ति या स्थान के संबंध में मतदाता सूची या नामांकन पत्र के पूर्ण संचालन को प्रभावित करेगी। आमतौर पर समझा जाने वाला और रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी भी गलत नाम या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देगा और जहां आवश्यक हो, निर्देश देगा कि मतदाता सूची में ऐसे किसी भी गलत नाम, गलत विवरण, लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को ठीक किया जाएगा अथवा नामांकन पत्र में नजरअंदाज कर दिया जाएगा।]

(5)

(6)

(7)

34. जमा:[(1) किसी उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि वह जमा नहीं करता या जमा नहीं कराता, -

(ए) ।

(बी) ।

(2)

36- नामांकनों की समीक्षा -

(1) धारा 30 के तहत नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर , उम्मीदवार, उनके चुनाव एजेंट, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक, और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत एक अन्य व्यक्ति, लेकिन कोई अन्य नहीं व्यक्ति, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित हो सकता है और रिटर्निंग अधिकारी उन्हें सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा जो समय के भीतर और धारा 33 में निर्धारित तरीके से वितरित किए गए हैं ।

(2) रिटर्निंग अधिकारी तब नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी भी नामांकन पर की गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा और या तो ऐसी आपत्ति पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकता है। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार करें:-

[(ए) कि नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर उम्मीदवार निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए या तो योग्य नहीं है या अयोग्य है, जो लागू हो सकता है,

अर्थात् अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191,

[इस अधिनियम का भाग II और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (2) 1963 की धारा 4 और 14 या बी. धारा 33 या धारा 34 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता हुई है ; या

(सी) कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं।]

(3) उपधारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) में निहित किसी भी बात के होते हुए यह नहीं माना जाएगा कि नामांकन पत्र के संबंध में किसी भी अनियमितता के आधार पर किसी भी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकृति दिया जाएगा, यदि उम्मीदवार को किसी अन्य नामांकन पत्र के माध्यम से विधिवत नामांकित किया गया हो जिसके संबंध में कोई अनियमितता नहीं की गई हो।

(4) रिटर्निंग अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त चरित्र का नहीं है।

(5) रिटर्निंग अधिकारी धारा 30 के खंड (बी) के तहत इस संबंध में नियुक्त तिथि पर जांच करेगा और कार्यवाही के किसी भी स्थगन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि जब ऐसी कार्यवाही दंगे या खुली हिंसा के कारणों से बाधित या व्यवधानित हो या उसके नियंत्रण से परे हो,

बशर्ते कि मामले में [कोई आपत्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उठाई गई है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है] संबंधित उम्मीदवार को इसे अगले दिन से पहले नहीं बल्कि जांच के लिए निर्धारित तिथि के बाद वाले दिन का खंडन करने के लिए समय दिया जा सकता है और रिटर्निंग अधिकारी को जिस तारीख को कार्यवाही स्थगित की गई है उस पर अपना निर्णय दर्ज करेगा।

(6) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने निर्णय का अनुमोदन करेगा और यदि नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसी अस्वीकृति के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र की तत्समय लागू मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है। जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन है।

(8) सभी नामांकन पत्रों की जांच होने और उन्हें स्वीकार करने या अस्वीकार करने के निर्णय दर्ज किए जाने के तुरंत बाद, रिटर्निंग अधिकारी वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा, यानी, ऐसे उम्मीदवार जिनके नामांकन वैध पाए गए हैं, और यह उसको नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे।

उपरोक्त प्रावधानों से उभरने वाली कानूनी स्थिति को संक्षेप देखें तो हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 30 एक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीखें तय करने का प्रावधान करती है धारा 32 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति को किसी सीट को भरने के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया जा सकता है जो संविधान और अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य है धारा 33 नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन के लिए आवश्यकताओं से संबंधित है। नामांकन निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार और निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षरित होना होता है। धारा 33 के अन्य खंड वैध नामांकन की कई आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। अधिनियम की धारा 35 के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार नामांकन पत्र की जांच की तारीख और

समय का संकेत देते हुए एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए और किसी विशिष्ट स्थान पर चिपकाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 36 के तहत, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र की जांच की जाती है। धारा 36 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी नामांकन पर दायर आपत्तियों पर या उसके प्रस्ताव पर उसके संबंध में संक्षिप्त जांच कर सकता है। नामांकन को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है:

(i) उम्मीदवार संविधान के अनुच्छेद 84, 102,173 और 191 या अधिनियम के भाग II के तहत किसी भी प्रावधान के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं है या अयोग्य है। (अधिनियम की धारा 8 भाग II में आती है)

(ii) अधिनियम की धारा 33 या धारा 34 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता पर नामांकन पत्र भी खारिज किया जा सकता है ;

(iii) नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं।

धारा 36 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त चरित्र का नहीं है।

नामांकन दाखिल करने के लिए निर्धारित फॉर्म बी-2 में यह घोषणा होती है कि उम्मीदवार योग्य है और अयोग्य नहीं है। उसकी योग्यता या अयोग्यता के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में कोई अन्य तथ्य, विवरण या जानकारी शामिल नहीं है।

अधिनियम की धारा 8 के भाग II में आने वाले में अयोग्यता का प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर हो सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्येक दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अयोग्यता नहीं हो सकती है। यह अपराध की प्रकृति और उन प्रावधानों पर निर्भर करता है जिनके तहत अपराध किया गया है, साथ ही दी गई सजा की अवधि पर भी निर्भर करता है।

जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने का हकदार है कि उम्मीदवार योग्य है और अयोग्य नहीं है। धारा 36 की उप-धारा (2) उसे अपने स्वयं के उद्देश्यों पर जांच करने के लिए अधिकृत करती है, यद्यपि प्रकृति संक्षिप्त हो। रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों को एक प्रोफार्मा दिया जिसे भरकर नामांकन पत्र की जांच के लिए निर्धारित तिथि और समय पर या उससे पहले दाखिल करना होगा। इसलिए एक प्रोफार्मा प्रदान करना, अधिनियम की धारा 8 के आलोक में आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या व्यक्ति योग्य है और अयोग्य नहीं है, यह एक ऐसा कार्य या कार्य है जो पूरी तरह

से धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन है। रिटर्निंग अधिकारी को जांच के समय या उससे पहले ऐसी जानकारी मांगने के लिए अधिकृत किया गया है। यदि उम्मीदवार ऐसी जानकारी देने में विफल रहता है और नामांकन पत्रों की जांच के समय भी अनुपस्थित रहता है, तो वह स्पष्ट रूप से संबंधित अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाने वाली वैधानिक जांच से बच रहा है। अधिनियम की धारा 8 के आलोक में वह योग्य या अयोग्य नहीं है इसके परिणामस्वरूप नामांकन में एक महत्वपूर्ण चरित्र का दोष होना तय है।

दिनांक 28-8-97 को निदेशक कानून द्वारा जारी पत्र सभी राज्यों आैर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित था आैर इसमें संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया था कि कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों के मद्देनजर में, अधिनियम की धारा 8 के तहत चुनाव के लिए उम्मीदवार की अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से शुरू होगी, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या वह उम्मीदवार बनने का इरादा रखता है, वह जमानत पर है या नहीं, सिवाय इसके कि जहां दोषसिद्धि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 4 के तहत शामिल है।

धारा 8 के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, आयोग ने एक प्रोफार्मा का संकेत दिया था जिसे उम्मीदवारों को सौंपा

जाना था, जिन्हें हलफनामे में भरना था। इस संदर्भ में हम अधिनियम की धारा 8 का अवलोकन कर सकते हैं जो इस प्रकार है-

8- कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता - (1) किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है -

(ए) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करने का अपराध) या धारा 171 ई (रिश्वतखोरी का अपराध) या धारा 171 एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध) या धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 376ए या धारा 376 बी या धारा 376 सी या धारा 376डी (बलात्कार से संबंधित अपराध) या धारा 498ए पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता का अपराध या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) (वर्गों या अपराध के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान देने का अपराध) किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी भी सभा में ऐसे बयान से संबंधित) या,

(बी) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22), जो "अस्पृश्यता" के प्रचार और अभ्यास के लिए सजा का प्रावधान करता

है, और उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता को लागू करने के लिए; या धारा 11 (प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात या निर्यात का अपराध) या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या

(डी) गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम , 1967 (1967 का 37) की धारा 10 से 12 (गैरकानूनी घोषित किसी एसोसिएशन का सदस्य होने का अपराध, किसी गैरकानूनी एसोसिएशन के धन से निपटने से संबंधित अपराध या किसी अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध) ; या

(ई) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 (1973 का 46); या

(एफ) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 (1985 का 61); या

(जी) धारा 3 (आतंकवादी कृत्य करने का अपराध) या धारा 4 (विघटनकारी गतिविधियां करने का अपराध) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) या

(ज) धारा 7 (धारा 3 से 6 के प्रावधानों के उल्लंघन का अपराध) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) की या

(i) इस अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केंद्रों से मतपत्र हटाने का अपराध) या धारा 135(ए) (बूथ कैप्चरिंग का अपराध) या धारा 136 की उपधारा 2 के खंड (ए) (किसी भी नामांकन पत्र को धोखाधड़ी से विरूपित करने या धोखाधड़ी से नष्ट करने का अपराध);

(जे) पूजा का स्थल(विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 की धारा 6 (किसी स्थान या पूजा के स्थल के रूपांतरण का अपराध)

(के) राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) की धारा 2 (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (राष्ट्रगान गाने से रोकना) अयोग्य घोषित किया जाएगा। या ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की अवधि।

(2) किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया है -

(ए) जमाखोरी या मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए प्रावधान करने वाला कोई कानून; या

(बी) भोजन या दवाओं में मिलावट से संबंधित कोई कानून; या

(सी) दहेज निषेध अधिनियम , 1961 (1961 का 28) का कोई प्रावधान ; या

(डी) सतीप्रथा रोकथाम अधिनियम, 1987 (1988 का 3) के किसी भी प्रावधान, और कम से कम छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई, ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी रिहायी से आगामी छह वर्षों तक एेसी अयोग्यता बनी रहेगी।

(3) किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई [उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के अलावा ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा और उनकी रिहाई के बाद से छह साल की आगामी अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाना जारी रहेगा]

(4) (उपधारा 1, 2 और 3 में किसी भी बात के होते हुए, किसी भी उपधारा के तहत अयोग्यता, किसी व्यक्ति के मामले में नहीं होगी, जो दोषसिद्धि की तिथि पर संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, वह उस तिथि से तीन महीने बीत जाने तक प्रभावी रहता है, या यदि उस अवधि के भीतर दोषसिद्धि या सजा के संबंध में अपील या पुनरीक्षण के संबंध में आवेदन लाया जाता है, जब तक कि न्यायालय द्वारा उस अपील या आवेदन का निपटारा नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरण - इस खंड में -

(ए) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए प्रावधान करने वाला कानून" का अर्थ है कोई कानून, या कानून का बल रखने वाला कोई आदेश, नियम या अधिसूचना, जो प्रदान करता है -

(i) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या निर्माण का विनियमन;

(ii) उस कीमत का नियंत्रण जिस पर कोई आवश्यक वस्तु लायी या बेची जा सकती है;

(iii) किसी आवश्यक वस्तु के अधिग्रहण, कब्ज़ा, भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, उपयोग या उपभोग का विनियमन;

(iv) आमतौर पर बिक्री के लिए रखी गई किसी भी आवश्यक वस्तु की बिक्री रोकने पर रोक;

(ए) "दवा" का वही अर्थ है जो औषधि और प्रसाधान सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में दिया गया है;

(सी) "आवश्यक वस्तु" का वही अर्थ है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में दिया गया है।

(बी) "खाद्य" का वही अर्थ है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में दिया गया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार नामांकन के लिए नियम 4 के तहत निर्धारित फॉर्म 2-बी में दी गई जानकारी पर्याप्त है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार की घोषणा शामिल है कि वह निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने के लिए योग्य है और उम्मीदवार बनने के लिए अयोग्य नहीं है। हमारे विचार में यह स्पष्ट घोषणा कि उम्मीदवार योग्य है और अयोग्य नहीं है, अधिनियम की धारा 8 के दृष्टिकोण से नामांकन पत्र की जांच करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। धारा 36 की उप-धारा 2 के खंड (ए) में यह देखने के लिए नामांकन पत्र की जांच करने का प्रावधान है कि क्या वह अधिनियम के भाग II के आलोक में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य है या नहीं; जैसा कि पहले बताया गया है, धारा 8 अधिनियम के भाग II में आती है। इसलिए, नामांकन पत्र में यह घोषणा कि उम्मीदवार योग्य है और अयोग्य नहीं है, केवल नामांकन पत्र भरने के लिए आवश्यक एक बुनियादी बयान हो सकता है लेकिन इसमें नामांकन पत्र की जांच के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक कोई जानकारी या तथ्य शामिल नहीं है। अधिनियम की धारा 8 जो अधिनियम के भाग II में आती है।

जांच के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है। जांच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वत: संज्ञान से जांच की भी मांग की जा सकती है, यद्यपि प्रकृति में संक्षिप्त हो। अधिनियम की धारा 8 के आलोक में

नामांकन पत्र की जांच करना रिटर्निंग ऑफिसर के वैधानिक कर्तव्यों में से एक है और वह किसी उम्मीदवार की योग्यता और अयोग्यता के बारे में संक्षिप्त जांच करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत है (सी बीराड मल सिघंवी बनाम आनंद पुरोहित , एआइआर 1988 एससी 1796) देखें। ऐसी शक्ति जो रिटर्निंग ऑफिसर में निहित है, वह चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश पर निर्भर नहीं है, इसलिए उस विवाद में पड़ना जरूरी नहीं है जिसे उठाने की कोशिश की जा रही है कि क्या चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश अनुच्छेद 324 के तहत उसकी शक्ति का प्रयोग है या नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास नामांकन पत्र की जांच के समय आवश्यक जानकारी होनी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए वह उम्मीदवार से जांच की तारीख से पहले या तिथि पर अधिनियम की धारा 8 के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अपने पत्र दिनांक 28-8-97 द्वारा धारा 8 के तहत अयोग्यता के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों को रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाया था। यह भी आगे अपेक्षित था कि राजनीति के अपराधीकरण के खतरे को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा ऐसी जांच की जाए। इस तथ्य को छोड़कर कि निर्देशों ने रिटर्निंग अधिकारियों को उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में कानून के तहत स्थिति से अवगत कराया, इसके तहत और कुछ भी प्रदान नहीं किया गया था जो पहले से ही वैधानिक

प्रावधानों के तहत रिटर्निंग अधिकारी की शक्ति के भीतर नहीं था, बल्कि यह एक अधिनियम की धारा 8 के आलोक में नामांकन पत्रों की जांच करना उनके कर्तव्य का हिस्सा है, जिसका तात्पर्य है कि वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी मांगने के लिए अधिकृत है। यह स्वप्रेरणा से भी हो सकता हैै।

चूंकि ऐसी जानकारी धारा 36(2) के तहत नामांकन पत्र की जांच के उद्देश्य से आवश्यक और प्रासंगिक है, इसलिए अधिनियम की धारा 8 के आलोक में, इसे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवार को प्रदान किए गए प्रारूप पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना उसका कर्तव्य बन जाता है ताकि एक रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र की प्रभावी ढंग से, ठीक से और कानून के प्रावधानों के अनुरूप जांच करने के अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन कर सके।

यहां हम यह बताना चाहेंगे कि आयोग के निर्देश में कहा गया है कि "जब कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर या, जैसा भी मामला हो, नामांकन पत्र प्राप्त करने वाला रिटर्निंग ऑफिसर उसे संलग्न पत्र सौंप देगा। नामांकन की जांच के समय यह सुनिश्चित करने के लिए संलग्न शपथ पत्र के प्रोफार्मा के साथ कि क्या उम्मीदवारी आरपी अधिनियम, 1959 की धारा 8 के दृष्टिकोण से वैध है, यह बेहतर होगा कि भविष्य के लिए निर्देश को व्यवहार्य पाया जा सके,

नामांकन पत्र जारी करते समय रिटर्निंग अधिकारी को शपथ पत्र का प्रोफार्मा सौंपने की आवश्यकता होगी।

इस मामले में, उम्मीदवार उसे दिए गए प्रोफार्मा पर मांगी गई जानकारी देने में विफल रहा था और जांच के समय व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने में भी विफल रहा था। नामांकन पत्र की उचित जांच करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के वैधानिक कर्तव्य/शक्ति को निरर्थक बना दिया गया। अधिनियम की धारा 8 के आलोक में धारा 36(2) के तहत नामांकन पत्र की जांच नहीं की जा सकती है। इसने निश्चित रूप से नामांकन पत्र को पर्याप्त चरित्र के दोष से ग्रस्त कर दिया और रिटर्निंग ऑफिसर को इसे अस्वीकार करने का अधिकार था।

इसलिए, अपील में योग्यता नहीं है और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवीन कुमार किलानियां (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |